

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक: स्था0 02/02-01/2017/.....19..... /पटना, दिनांक.....24.08.17

प्रेषक,

पूनम (भा०प्र०से०),

निदेशक,

सेवा में,

प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), गया, मुंगेर, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण।

जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर(भभुआ),गया, अरवल, बेगुसराय, खगड़िया, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली एवं सारण।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्य शीर्ष 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय उपशीर्ष 0002 राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 20923066/- (दो करोड़ नौ लाख तेइस हजार छियासठ) रुपये मात्र का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग ने अपने पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17 के द्वारा सूचित किया है कि बिहार विधान मंडल से पारित वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2017 पर महामहिम राज्यपाल द्वारा 31.03.2017 को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।


- उक्त पत्र के कंडिका 3 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए प्रावधानित राशि की सीमा तक व्यय किया जा सकता है।
- तदनुसार उक्त पत्र के कंडिका-3 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार व्यय करने के लिए राशि आवंटित की जाती है ।
- संलग्न विवरणी मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, उप मुख्य शीर्ष-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, लघु शीर्ष-204- केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, उप शीर्ष-0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत आवंटित की जा रही है, जिसका मांग सं०- 35 एवं विपत्र कोड- 35-3454022040002 है।
- संलग्न विवरणी के क्रमांक-1 एवं 6 तथा 7 से 31 तक के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी क्रमशः संबंधित सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी) एवं सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी होंगे।
- राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र पर निहित राशि की निकासी की जा रही है । साथ ही इस आशय का प्रमाण-पत्र विपत्र पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है।

7. प्रत्येक परिस्थिति में मद्दार व्यय आवंटित राशि के अधीन रखी जाय । इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।
8. व्यय का मासिक प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय स्थित बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय, अन्यथा अगला आवंटन, व्यय प्रतिवेदन के अप्राप्त रहने की स्थिति में रोक दिया जायेगा और इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं जिम्मेवार होंगे।
9. जिन जिलों में अन्वेषक, रान्यास पदस्थापित है, नियमानुसार उनके यात्रा भत्ता विपत्र का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।
10. कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा (NILET) में उत्तीर्ण पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा भुगतान की गई प्रशिक्षण शुल्क/शुल्क का नियमानुसार भुगतान प्रशिक्षण व्यय मद में आवंटित राशि से किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
11. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, अररिया विषय शीर्ष -13.01 कार्यालय व्यय मद में आवंटित राशि से प्रखंडों में वर्षामापक यंत्रों के अधिष्ठापन पर हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति करेंगे।
12. वित्त विभाग के ज्ञापांक 599 दिनांक 07.07.2010 के आलोक में वेतन एवं भत्ते से संबंधित विषय शीर्ष -01-01 से 01-07 में यदि किसी विषय शीर्ष में कम राशि प्रावधानित/आवंटित है, तो जिस विषय शीर्ष में अधिक राशि प्रावधानित आवंटित है में से घटाते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि की निकासी की जा सकती है।
13. आवंटित राशि को नियमानुसार व्यय वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अन्य आदेशों के आलोक में किया जायेगा।

  
बजट सहायक


  
प्रशाखा पदा०

  
सहायक निदेशक

विश्वासभाजन  
  
निदेशक


ज्ञापांक ..... 19 ...../पटना, दिनांक ..... 24-08-17 .....

प्रतिलिपि: 1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
निदेशक

ज्ञापांक ..... 19 ...../पटना, दिनांक ..... 24-08-17 .....

प्रतिलिपि: 1. संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक

ज्ञापांक ..... 19 ...../पटना, दिनांक ..... 24-08-17 .....

- प्रतिलिपि: 1. योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)।
2. वरीय संयुक्त निदेशक /सभी उप निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय।
  3. कार्यालय लेखापाल (दो प्रतियों में)/श्री शशि रंजन सिन्हा, कार्यालय परिचारी (गार्ड फाईल) में चिपकाने हेतु एवं निर्गत प्रशाखा को निर्गत करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
  4. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, कनीय सांख्यिकी सहायक, कम्प्यूटर कोषांग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन आदेश को सभी संबंधितों के ई-मेल पर प्रेषित करते हुए निदेशालय के वेबसाइट पर अपलोड करना/कराना सुनिश्चित करें।

  
निदेशक

आवंटन विवरणी

मुख्य शीर्ष-3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 204-केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, 0002-राज्य सांख्यिकी संगठन शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 का आवंटन विवरणी । मांग सं0-35 एवं विपत्र कोड-35-3454022040002

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	13-02	13-03	13-04	13-05	13-06	14-01	20-03	28-02	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	विक्रिस्ता भत्ता	अन्य भत्ता		चि0 प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार विधि प्रभार		वर्ष/ पेशाक	किराया महसूल एवं कर	प्रशिक्षण व्यय	व्यवसायिक सेवाएं/ सविदा सेवाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी) कार्यालय																				
1	गया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5000	-	-	-	-	-	-	-	240000	245000
2	मुंगेर	100000	-	1000	-	600	-	101600	-	-	6000	10000	-	-	-	-	-	-	-	117600
3	सहरसा	-	-	-	-	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800
4	दरभंगा	1000000	-	10000	-	4200	4600	1018800	-	10000	-	-	-	-	-	6000	-	-	-	1034800
5	मुजफ्फरपुर	500000	-	-	-	-	-	500000	-	-	-	10000	-	-	-	-	-	-	-	510000
6	सारण	500000	-	-	-	-	-	500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500000
जिला सांख्यिकी कार्यालय																				
7	पटना	320000	-	360000	5000	3000	-	688000	-	15000	20000	15000	5000	-	-	-	-	-	4000	747000
8	नालंदा	500000	-	30000	-	2200	-	532200	-	-	20000	20000	-	-	-	-	-	-	-	572200
9	भोजपुर	800000	-	59600	-	7200	-	866800	-	50000	30000	20000	2000	20000	-	3000	-	-	-	991800
10	बक्सर	100000	50000	1000	-	2400	-	153400	-	-	-	15000	-	10000	-	-	-	-	-	178400
11	कैमूर(भभुआ)	500000	-	50000	-	7200	-	557200	-	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	572200
12	गया	2000000	-	354000	-	14000	-	2368000	-	50000	15000	30000	-	-	-	-	-	6000	-	2469000
13	अरबल	300000	-	-	-	400	720	301120	-	-	10000	10000	-	-	-	3000	-	-	-	324120
14	बेगूसराय	53000	100100	5300	-	2000	-	160400	-	-	15000	15000	3000	-	-	-	-	-	-	193400
15	खगडिया	586000	-	45000	-	2000	-	633000	-	2000	15000	15000	-	-	-	-	-	-	-	665000
16	शेखपुरा	1500000	-	-	-	1000	-	1501000	-	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	283000	1799000
17	जमुई	500000	-	5500	-	1200	-	506700	-	20000	10000	15000	-	-	-	-	-	-	-	551700
18	भागलपुर	1000000	-	29236	-	-	-	1029236	-	15000	10000	7000	5000	10000	-	-	-	4000	10000	1090236
19	बाँका	500000	200000	30000	-	2400	-	732400	-	-	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	747400
20	पूर्णियाँ	-	-	-	-	-	-	0	-	50000	-	15000	-	-	-	-	-	-	-	65000

क्र. सं.	कार्यालय का नाम जिन्हें आवंटन दिया जा रहा है।	01-01	01-03	01-04	01-05	01-06	01-07	योग- वेतन एवं भत्ते	06-01	11-01	13-01	13-02	13-03	13-04	13-05	13-06	14-01	20-03	28-02	कुल योग
		वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान भत्ता	परिवहन भत्ता	वैदिकता भत्ता	अन्य भत्ता		वि० प्रतिपूर्ति	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	दूरभाष	विद्युत प्रभार	विधि प्रभार	वैश्याक बर्दा/ भत्ता	क्रिया महासूल एवं कर	प्रशिक्षण व्यय	व्यवसायिक सेवाएं/ सविना सेवाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
21	किशनानंज	400000	100000	33200		2600	-	535800	-	20000	10000	15000	12000	-	-	-	-	-	-	-
22	अररिया										85590									592800
23	सहरसा							0		15000	20000	15000								85590
24	मधेपुरा	1000000	300000	50700		7900		1358600		15000	20000	15000								50000
25	दरभंगा	600000		62100		6800		668900		20000	20000	25000	2000							1373600
26	समस्तीपुर							720			20000	15000		69000						804900
27	सीतामढ़ी	500000		50000		2400		552400			20000	15000								35720
28	पूर्वी चम्पारण	1220000	300000	82000		9200		1611200				15000								567400
29	प० चम्पारण	1800000		100000		10400		1910400		15000	5000	25000	7000							1626200
30	वैशाली	300000		30000		2400		332400				15000								1962400
31	सारण	300000		30000		2400		332400				15000								347400
	कुल योग:-	16879000	1050100	1418636	5000	94700	6040	19453476	0	282000	311590	412000	36000	109000	0	12000	0	10000	297000	20923066

(रो करोड़ नौ लाख तेइस हजार छियासठ) रुपये मात्र।

02/08/17  
बजट सहायक

प्रशाखा पदाधिकारी

सहायक निदेशक

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

निदेशक

24/08/17

बिहार सरकार,  
वित्त विभाग ।

पटना, दिनांक

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,  
सचिव (व्यय)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/गिलाधिकारी,  
सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना ।

विषय:-

वित्तीय वर्ष २०१०-११ एवं आने वाले वित्तीय वर्षों के आय-व्ययक में वेतन की विषय शीर्षों में उपबंधित राशि का घट-बढ़ होने पर उसका परिमार्जन करने के संबंध में ।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१०-११ के बजट प्राक्कलन में वेतन एवं भत्ते के अधीन विभिन्न विषय शीर्षों में विभागों प्राप्त सूचना के आधार पर अलग-अलग राशि बजट पुरितंत्र में कर्णांकित की गयी है । सभी विषय शीर्षों का योग वेतन एवं भत्ते मद में सन्निहित होता है । ऐसी संभावना है कि कुछ उप शीर्षों में सूचना के आभाव में देय भत्ते का अलग-अलग चिन्हित नहीं किया जा सका हो या वेतन के किसी विषय शीर्ष/मद में राशि का कम या अधिक प्रावधान कराया गया हो । ऐसी दशा में जिन विषय शीर्षों में राशि कम पड़ रहा हो वहां वेतन एवं उनकी अन्य विषय शीर्षों जहां राशि अधिक उपबंधित हो में से लेकर सामंजस्य करने के संबंध में विचार किया गया ।

२. विचारोपरान्त सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर किसी उपशीर्ष में वेतन की किसी विषय शीर्ष मद में राशि का प्रावधान नहीं कराया जा सका है अथवा कम प्रावधान कराया गया है तो उक्त भत्ते के लिए बजट में प्रावधान वेतन मद की राशि अथवा वेतन का ऐसा अन्य विषय शीर्ष निरापेक्ष आंकित राशि का प्रावधान है, में से प्रत्येक उप शीर्ष विषय शीर्ष जहाँ राशि की आवश्यकता है का आवंटन किया जाय । वेतन एवं उनके देय भत्ते की वेतन विषय शीर्ष ०१-०१ से ०१-०७ तक में माना गया है । अतएव इन विषय शीर्षों (०१-०१ से ०१-०७ तक) में उपबंधित राशि के विनियम के लिए पुनर्विनियोग की आवश्यकता नहीं है ।

३ अगर किसी कारणवश आवंटन देने वाले पदाधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा सका हो तो निचारी एवं व्यय पदाधिकारी जिन्हें आवंटन प्राप्त हुआ है, का दायित्व है कि विपत्रों को कोषागार में प्रेषित करने के पूर्व आवश्यकतानुसार वेतन एवं उनके भत्तों के लिए अलग-अलग विषय शीर्षों में राशि को कर्णांकित करने के तत्पश्चात विपत्र में आवश्यक उल्लेख कर लिया जाय ।

४. यह प्रावधान वित्तीय वर्ष-२०१०-११ एवं आने वाले वित्तीय वर्षों में भी लागू रहेगा ।

विचाररामानंद,

ह०/

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापक-...../वि० (२) पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापक-...../वि०, (२) पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के सचिव/महासचिव, पटना उच्च न्यायालय, पटना/आरक्षी महासचिव, बिहार पटना/ सचिव, बिहार विधानसभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राज्य पाठ्यक्रम सूचना आयोग के सचिव/मुख्य सचिव के प्रमुख आस सचिव/विद्यार्थी आयोग के सचिव/लोकराज्य के सचिव को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-...../वि०, (2) पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली  
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-...../वि०, (2) पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि:- महानिदेशक अभियोजना निदेशालय, गृह विभाग/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण निदेशालय/निदेशक, समाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, श्रम निदेशालय, श्रम संसाधन विभाग/निदेशक पुरातत्व निदेशालय/निदेशक संग्रहालय निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग/निदेशक, गव्य निदेशालय/निदेशक, मत्स्य निदेशालय/निदेशक, पशुपक्षि निदेशालय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/निदेशक, जन शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, शिक्षा/निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण/निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, समाज कल्याण विभाग/निदेशक, कृषि निदेशालय, कृषि विभाग/निदेशक, चकबंदी/निदेशक, भू-अर्जन निदेशालय/निदेशक, सर्वे निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशक, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय/निदेशक, अभिलेखागार/निदेशक, पशु संरक्षण/निदेशक, देशी चिकित्सा/निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सचिव, वाणिज्य-व्यायाधिकरण/उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय/मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त अंकेक्षण विभाग/निदेशक, प्रेस एवं स्टेशनरी/संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन/वित्त विभाग के सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव, अवर सचिव/प्रधान सचिव के सचिव/सहायक सचिव/संसाधन के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

ज्ञापांक-.....599...../वि०, (2) पटना, दिनांक-.....7.7.2010...../

प्रतिलिपि स० ब० नियंत्रक/बजट शाखा के सभी लेखा पदाधिकारी एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(मिहिर कुमार सिंह)

सचिव (व्यय) ।

06/07